रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 1987/वैशाख 1, 1909
No. 189] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 21, 1987/VAISAKHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1987

का. आ. 400 (अ):—केन्द्रीय सरकार चाय कंपनी (रुग्ण चाय एककों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1985 (1985 का 37) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री एम. एल. बोस को अप्रैल, 1987 के 21 दिन से संचाय आयुक्त के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. बी-12012(3)/85-भागान "क"]

डी. पी. भागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 21st April, 1987

S.O. 400(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Act, 1985 (37 of 1985), the Central Government hereby appoint Shri S. L. Bose, as Commissioner of Payments with effect from the 21st day of April, 1987.

[File No. B-12012(3)/85-Plant A]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987